

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-प्रथम), मध्य प्रदेश, ग्वालियर
OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT-I),
MADHYA PRADESH, GWALIOR

क्र.प्रशा.-11/स-1/वरि.ले.प.अ./एन.फ.यू./का.आ./ 126 दिनांक:-23-01-2024

कार्यालय आदेश/Office Order

निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालय आदेश क्रमांक प्रशा./गो.क./ले.प./एम.ए.सी.पी./भाग-04/का.आ.449 दिनांक 21.03.2022 में निर्दिष्ट समयावधि में वांछित विकल्प प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण कॉलम 3 में दर्शाये गये दिनांक से उनको प्रदान किये गए द्वितीय वित्तीय उन्नयन (परिवर्धित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना, 2009 के तहत) को निरस्त किया जाता है एवं उन्हें मुख्यालय के परिपत्र दिनांक 20.06.2016 के परिप्रेक्ष्य में कॉलम 5 में दर्शाये गये दिनांक से वेतन मैट्रिक्स के लेवल-9 में गैर-कार्यात्मक उन्नयन प्रदान किया जाता है।

Due to non-submission of option within the time-limit stipulated in Office Order No. प्रशा./गो.क./ले.प./एम.ए.सी.पी./भाग-04/का.आ.449 दिनांक 21.03.2022, second financial up-gradation (under Modified Assured Career Progression Scheme, 2009) granted to following officers from the date mentioned in column 3 is cancelled and they are granted Non-Functional Up-gradation in Level-9 of Pay Matrix from the date shown in column 5 in view of headquarters' circular dated 20.06.2016 -

क्र.	नाम, पदनाम व स्थायी क्रं.	द्वितीय वित्तीय उन्नयन (2nd MACP) प्रदान किये जाने का दिनांक	वर्तमान पदस्थापना कार्यालय	गैर कार्यात्मक उन्नयन प्रदान करने का दिनांक
1	2	3	4	5
1	श्री मनीष कुमार शुक्ला, व.ले.प.अ. (01/6638)	02.05.2015	कार्या.म.ले. (लेखापरीक्षा-द्वितीय), म. प्र., भोपाल	01.01.2016
2	श्री गुरु दयाल मौर्य, व.ले.प.अ. (01/6654)	06.07.2015	कार्या.म.ले. (लेखापरीक्षा-द्वितीय), म. प्र., भोपाल	01.01.2016

उपर्युक्त अधिकारी अपने वेतन निर्धारण संबंधी विकल्प इस कार्यालय आदेश के जारी होने के दिनांक से एक माह के अन्दर संबंधित प्रशासन अनुभाग में प्रस्तुत करें।

Above officers may submit their option regarding pay fixation in concerned Administration Section within one month from the date of issue of this Office Order.

नोट- 1. श्री मनीष कुमार शुक्ला, व.ले.प.अ. (01/6638) को दिनांक 02.05.2015 से 31.12.2015 तक किये गये अधिक भुगतान कि वसूली की जानी है |

2. श्री गुरु दयाल मौर्य, व.ले.प.अ. (01/6654) को दिनांक 06.07.2015 से 31.12.2015 तक किये गये अधिक भुगतान कि वसूली की जानी है |

(महालेखाकार महोदया के अनुमोदन से जारी)

हस्ता/-

उप महालेखाकार/प्रशासन

क्र.प्रशा.-11/स-1/वरि.ले.प.अ./एन.फ.यू./का.आ./

दिनांक: 23-01-2024

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित-

- 1- सचिव, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-प्रथम), मध्य प्रदेश, ग्वालियर।
- 2- वरिष्ठ उप महालेखाकार/प्रशासन, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-प्रथम), मध्य प्रदेश, ग्वालियर।
- 3- वरिष्ठ उप महालेखाकार/प्रशासन, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा-द्वितीय), मध्य प्रदेश, भोपाल।
- 4- वरिष्ठ उप महालेखाकार/प्रशासन, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.)-1 मध्य प्रदेश, ग्वालियर को आपदा प्रबंधन हेतु।
- 5- उप निदेशक/वित्त एवं संचार लेखापरीक्षा, बी.एस.एन.एल. कम्पाउन्ड, होशंगाबाद रोड, भोपाल मध्य प्रदेश।
- 6- वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रभारी कल्याण शाखा ।
- 7- वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रशासन-11, 12, 13, 14, गोपनीय कक्ष, विधि कक्ष, सामान्य अनुभाग, कार्यपालन शाखा, आई.टी.ए.।

- 8- वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/आई. एस. विंग को कार्यालयीन वेबसाइट, इन्टरनेट एवं इन्ट्रानेट पर अपलोड करने हेतु।
- 9- श्री नरेश आहूजा, स.ले.प.अ., को इन्ट्रानेट एवं इन्टरनेट संबंधी कार्य हेतु।
- 10- सेवा पुस्तिका एवं व्यक्तिगत फाइल।
- 11- संबंधित अधिकारी
- 12- सूचना पटल।
- 13- गार्ड फाईल ।

हस्ता/-

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रशासन-11